के. के. पाठक, भा.प्र.से.
प्रधान सचिव,
खान एवं भूतत्व विभाग
बिहार सरकार
विकास भवन, पटना–800 015
दूरभाष : 0612–2215857 (का०)

सत्यमेव जयते
बिहार सरकार

K. K. PATHAK, IAS
Principal Secretary
Department of Mines & Geology
Government of Bihar
Vikas Bhawan, Patna - 800 015
Tel : 0612-2215857 (Off.)
Fax : 0612-2232930
E-mail : secymine-bih@nic.in

पत्रांक– 09/M.C / पटना, दिनांक– 11/1/18 /

सेवा में,

प्रमंडलीय आयुक्त, पटना
प्रमंडलीय आयुक्त, सारण, छपरा
पुलिस उप महानिरीक्षक, के0प्र0, पटना
पुलिस उप महानिरीक्षक, सारण, छपरा
जिला पदाधिकारी, पटना
जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा
वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना
पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा
उत्पाद अधीक्षक, पटना

विषय– अवैध खनन के संबध में बैठक।

महाशय,

दिनांक–15.12.2017 को हुये बैठक का संदर्भ करें (बैठक की कार्यवाही संलग्न)। जिसके आलोक में आपसे अनुरोध किया गया था कि दीधा पुल के नीचे चल रहे अवैध खनन की रोकथाम हेतु पुलिस चौकी स्थापित करने तथा सोन एवं गंगा नदी में पेट्रोलिंग करने से संबंधित निदेश उक्त बैठक में दिये गये थे।

उपरोक्त पर विस्तृत समीक्षा हेतु अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में दिनांक–15.01.2018 के अपराह्न 04.00 बजे बैठक निर्धारित की गई है।

अतः उपरोक्त बैठक में भाग लेने की कृपा की जाए। बैठक में पटना एवं छपरा के खनन पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

अनु0 यथोक्त

विश्वासभाजन

प्रधान सचिव
खान एवं भूतत्व विभाग

के. के. पाठक, भा.प्र.से.
प्रधान सचिव,
खान एवं भूतत्व विभाग
बिहार सरकार
विकास भवन, पटना–800 015
दूरभाष : 0612–2215857 (का0)

सत्यमेव जयते
बिहार सरकार

K. K. PATHAK, IAS
Principal Secretary
Department of Mines & Geology
Government of Bihar
Vikas Bhawan, Patna - 800 015
Tel : 0612-2215857 (Off.)
Fax : 0612-2232930
E-mail : secymine-bih@nic.in

पत्रांक-------------------/ पटना, दिनांक-- --------------------/

सेवा में,

प्रमंडलीय आयुक्त, पटना
प्रमंडलीय आयुक्त, सारण, छपरा
पुलिस उप महानिरीक्षक, के0प्र0, पटना
पुलिस उप महानिरीक्षक, सारण, छपरा
जिला पदाधिकारी, पटना
जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा
वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना
पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा
उत्पाद अधीक्षक, पटना

विषय– **अवैध खनन के संबध में बैठक।**

महाशय,

दिनांक–15.12.2017 को हुये बैठक का संदर्भ करें (बैठक की कार्यवाही संलग्न)। जिसके आलोक में आपसे अनुरोध किया गया था कि दीधा पुल के नीचे चल रहे अवैध खनन की रोकथाम हेतु पुलिस चौकी स्थापित करने तथा सोन एवं गंगा नदी में पेट्रोलिंग करने से संबंधित निदेश उक्त बैठक में दिये गये थे।

उपरोक्त पर विस्तृत समीक्षा हेतु अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में दिनांक–15.01.2018 के अपराह्न 04.00 बजे बैठक निर्धारित की गई है।

अतः उपरोक्त बैठक में भाग लेने की कृपा की जाए। बैठक में पटना एवं छपरा के खनन पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

अनु0 यथोक्त

विश्वासभाजन

ह0/–
प्रधान सचिव
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः– 09/M.C /पटना,दिनांकः– 11/1/18

प्रतिलिपि– विशेष सचिव–सह–निदेशक/विशेष सचिव/उप निदेशक(मुख्यालय)/जिला खनन पदाधिकारी पटना एवं छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव
खान एवं भूतत्व विभाग

प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक– 15.12.2017 को अवैध खनन से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

बैठक में उपस्थित पदाधिकारीगण :–

प्रमंडली आयुक्त, पटना
प्रमंडली आयुक्त, सारण, छपरा
अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना
पुलिस महानिरीक्षक, के0प्रे0, पटना
पुलिस उप महानिरीक्षक,सारण, छपरा
पुलिस उप महानिरीक्षक, के0प्र0, पटना
जिला पदाधिकारी, पटना
जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा
वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना
पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा

प्रधान सचिव द्वारा सूचित किया गया कि दोनों जिलों यथा– पटना एवं छपरा को 60–60 गृह रक्षक स्वीकृत किये जा चुके हैं। एतद् संबंधी स्वीकृत्यादेश की प्रति दोनों जिलाधिकारियों को बैठक में ही उपलब्ध करा दी गई है। उनसे अनुरोध है कि गृह रक्षकों को अतिशीघ्र काल अप करें। इस हेतु 10–10 लाख रुपये दोनों जिलों को आवंटन भी स्वीकृत किया जा चुका है।

अनुपालनः–
(जिला पदाधिकारी पटना / छपरा)

2. प्रधान सचिव द्वारा आगे सूचित किया गया है स्पीड बोट की निवादा आमंत्रित की गई है। यथा संभव अगले सप्ताह स्पीड बोट की निवदा को फाईनल कर दिया जायेगा और इस माह के अंत में पर्याप्त सख्या में स्पीड बोट पटना एवं छपरा में पहुँच जायेंगे। पटना हेतु 03 अदद स्पीड बोट तथा 02 अदद फाइवर बोट एवं छपरा हेतु 02 अदद स्पीड बोट तथा 01 अदद फाईवर बोट उपलब्ध हो जायेगा। पर्याप्त संख्या में लाईफ जौकेट भी उपलब्ध कराया जायेगा।

अनुपालन :–
(निदेशक, खान एवं भूतत्व, पटना)

3. बैठक में यह भी बताया गया कि पटना एवं छपरा में पहले से वोट उपलब्ध है किन्तु जीर्णशीर्ण अवस्था में है। इस पर प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि दोनों जिले में पुलिस अधीक्षक अपनी बोट की मरम्मत कराकर इसका विपत्र खान एवं भूतत्व विभाग को भेज दे।

अनुपालन –
(पुलिस अधीक्षक, पटना एवं छपरा)

4. छपरा जिला में जप्त बालू के लिए पिछले सप्ताह छपरा प्रशासन द्वारा प्रयास किया गया था जिसमें आंशिक सफलता भी मिली थी। पुलिस अधीक्षक, छपरा ने बताया कि इस क्रम में 37 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया तथा सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिला पदाधिकारी, छपरा द्वारा बताया गया कि उपद्रव मचाने वालों पर धारा 107 के तहत कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। प्रधान सचिव द्वारा अनुरोध किया गया कि अगले सप्ताह इस अभियान को दुबारा चलाया जाय एवं जप्त बालू छपरा से बफर स्टॉक, पटना भिजवाया जाए।

अनुपालन–
(जिला पदाधिकारी, छपरा / पुलिस अधीक्षक, छपरा)

ह0 / –
(के0 के0 पाठक)
खान एवं भूतत्व विभाग, पटना

ज्ञापांक– / पटना, दिनांक–

प्रतिलिप– प्रमंडलीय आयुक्त, पटना / प्रमंडलीय आयुक्त, सारण, छपरा / अपर पुलिस महानिदेश्का, (मुख्या0) / पुलिस महानिरीक्षक, के0प्र0,पटना / पुलिस उप महानिरीक्षक, सारण, छपरा / पुलिस उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय प्रक्षेत्र, पटना / जिला पदाधिकारी, पटना / जिला पदाधिकारी, छपरा / वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना / पुलिस अधीक्षक,छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(के0 के0 पाठक)
खान एवं भूतत्व विभाग, पटना

ज्ञापांक– 199/M.C /पटना, दिनांक– 15/12/17

प्रतिलिपि– विशेष सचिव–सह–निदेशक/विशेष सचिव/उप निदेशक (मुख्या0)/खनन पदाधिकारी, पटना एवं छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के0 के0 पाठक)
खान एवं भूतत्व विभाग, पटना